न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **70/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/166

1. मांगीलाल पिता भंवरलाल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. नाथुसिंह पिता सवसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी हरिसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, हाल घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भंवरकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी नाथूसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
4. अंकित कुमार पिता चन्द्रप्रकाश जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. ओमप्रकाश पिता सुन्दरलाल जी मेहता ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नुरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
6. कमलसिंह पिता रतनलाल जी जैन पगारिया, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
7. चन्द्रप्रकाश पिता चांदमल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
8. धर्मनारायण पिता श्यामलाल जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
9. प्रेमशंकर पिता श्यामलाल जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
10. प्रहलाद पिता अर्जुनलाल जी लावटी, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
11. भरत पिता हरकलाल जी दुग्गड, उम्र वयस्क, निवासी 191–192 क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
12. विशाल पिता हरकलाल जी दुग्गड, उम्र वयस्क, निवासी 191 क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
13. सुन्दरलाल पिता डालचन्द जी मेहता, उम्र वयस्क, निवासी नुरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
14. सुरेशचन्द्र पिता गणेशलाल जी खटवड़, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
15. सरोजदेवी पत्नी हरकलाल जी दुग्गड, उम्र वयस्क, निवासी क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

16. सुशीलादेवी पत्नी कमलसिंह जी जैन पगारिया, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
17. हरकलाल पिता भोलीलाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी 191 भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
18. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 30.04.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदा, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 560 रकबा 3.8202 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार एजनकुँवर पत्नी सवसिंह राजपूत एवं प्रतिवादी संख्या 1. 2 प्रत्येक के नाम 3/118 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 प्रत्येक के नाम 25/708 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5, 7 प्रत्येक के नाम 25/354 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 16 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8, 9 प्रत्येक के नाम 1/6 हिरसानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत का निधन हो चुका है जिसके वारिस पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं पुत्रीयां प्रतिवादी संख्या 2, 3 है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।
2. यह कि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत ने अपने जीवनकाल में स्वयं को जायज जरूरियात रूपयों की सख्त आवश्यकता होने से दिनांक 25.05. 2011 को उक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हक हिस्से 9/354 वें अर्थात 3/118 वें हिस्से की कृषि भूमि को बिल एवज 2,00,000/– दो लाख रूपये में मुझ वादी को विक्रय कर दी [illegible]क्रेता एजनकुंवर ने विक्रय प्रतिफल की कुलिया राशि प्राप्त कर मुझ वादी के [illegible] में विक्रय पत्र लिखवाकर रजिस्ट्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pannalal
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

करा विक्रीत कृषि भूमि का मौके पर कब्जा मुझ वादी को सुपुर्द कर दिया जिससे तब से इस क्रय सुदा जमीन पर मुझ वादी का अपने परिवारजन सहित निरन्तर लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं और मैं वादी निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी मुझ वादी ने काफी खर्चा किया हैं और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस जमीन को आवादान कर विकसित की हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है।

3. यह कि मुझ वादी ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा अपने क्रय सुदा हक हिस्से को अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का को असल विक्रय पत्र भी सिपुर्द किया तथा पटवारी हल्का ने मुझ वादी को आश्वासन दिया था कि वह विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण मुझ वादी के नाम पर खोल देगें। असल विक्रय पत्र पटवारी हल्का को देने के उपरान्त मुझ वादी ने कई बार पटवारी हल्का से जमीन मेरे नाम पर होने के बारे में पूछा गया तो पटवारी हल्का द्वारा हर समय टालम टूल किया जाता रहा और यह कहा जाता कि अभी टाईम नही मिल रहा है और टाईम मिलते ही रजिस्ट्री से जमीन आपके नाम पर नामान्तरकरण खोल दर्ज कर दूंगा। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा मेरी क्रयसुदा भूमि मुझ वादी के नाम पर अंकित नही की गई जिस वजह से आज भी मुझ वादी की खरीदसुदा कृषि भूमि विक्रेता एजनकुंवर के नाम पर ही अंकित चली आ रही हैं। जबकि विक्रेता खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से को बेचने के पश्चात् विक्रेता या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि में कभी भी कोई स्वत्व कब्जा अधिकार नही रहा है और न ही वर्तमान में है। मुझ वादी की खरीदसुदा जमीन मेरे नाम पर अंकन नही होने से मुझ वादी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिये मैं वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गई हैं उसे अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। जिसके लिये यह वाद आप न्यायालय में पेश है।

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता [illegible] से भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और कब्जा प्राप्त किया है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

जमीन खरीदने के बाद से ही मैं वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयसुदा कृषि भूमि मुझ वादी के नाम पर अंकन नही होने से भूमि विक्रेता खातेदार के नाम दर्ज रह गई और वर्तमान में जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे अपनी माता द्वारा बेची हुई जमीन को अपने नाम पर अंकन करवाकर पुनः दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं मुझ वादी को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का मेरी खरीदसुदा उक्त हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही हैं। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी की क्रयसुदा जमीन अर्थात विक्रेता एजनकुंवर के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर अंकित नही करावें, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

5. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 18.02.2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मुझ वादी की खरीदसुदा जमीन अपने नाम पर दर्ज कराने एवं मुझ वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें उक्त वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pusadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

1 से 3 उक्त आराजीयात में वादी द्वारा खरीदी गई भूमि का वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विक्रेता एजनकुंवर पत्नी सवसिंह राजपूत के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर अंकित नही करावे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, कब्जा नही, प्रवेश नही करे, वादी को बेदखल नही करे, नुकसान नही पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 18 से 20 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज नामान्तरकरण खुलाने / पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, न स्वीकृत करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, रेकर्ड में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें, न करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से 17 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 18 से 20 आवश्यक अनौपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वादीगण के वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 मांगीलाल पिता भंवरलाल द्वारा उपस्थित होकर ब्यान क्रमबंध करवाए गए। मैने दिनांक 25.05.2011 को मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल में स्थित कृषि भूमि जिसके आराजी नम्बर 560 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा (हाल 3.8202 हेक्टेयर) भूमि में बिला श्रीमती ऐजन कुंवर पत्नी स्व. सवसिंह राजपूत से उनका सम्पूर्ण 9/354 वां हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र से खरीदा था और खरीदने के बाद बिना ने बित्रित भूमि का कब्जा मुझ खरीददार को सिपूर्व किया था तब से लेकर आज दिनांक तक मैं ही उपयोग उपभोग कर रहा हूं। मैने असल रजिस्टर्ड क्रिय पत्र पटवारी को इन्तकाल खोलने हेतु दिया था किन्तु पटवारी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जिससे उक्त भूमि ऐजन कुंवर के नाम ही आज दिनांक तक जमाबन्दी में चली आ रही हैं। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रिय पत्र 2,00,000/- रूपये के प्रतिफल में निष्पादित किया था। असल रजिस्टर्ड किय पत्र प्रदर्श 1 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 1ए जिसमें एक्स स्थान पर ऐजन कुंवर के अंगुष्ठ निशानी, ए से बी मुझक्रेता के हस्ताक्षर सी से डी, गवाह हमेरसिंह के हस्ताक्षर और वाई स्थान पर गवाह सोहन कुंवर के अंगुष्ठ निशानी है मौजा वांगरोदा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 137 प्रदर्श 2 हैं। मुझ वादी द्वारा खरीदा गया हिस्सा कृषि भूमि का मुझ वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

8. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय दावा बहस सुनी। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वादी का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादी एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 2 ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 560 किता 1 कुल क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण एवं खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। प्रदर्श-1ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2011 अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज 3/118 हिस्से को वादी को विक्रय कर दिया गया। वादी के कथनानुसार खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह का निधन हो गया। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का 3/118 हिस्सा अपने नाम दर्ज करने हेतु राजस्व कर्मचारियो से निवेदन किया, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों को नामान्तरकरण पारित कर 3/118 हिस्से से वादी के नाम खातेदारी अधिकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2011 से भूमि का क्रय करते ही उक्त भूमि का खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही किया गया। यह राजस्व कर्मचारियो की भूल है। वादी वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार है। खातेदार एजनकुंवर के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए। इससे जाहीर होता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 560 किता 1 कुल क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 3/118 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 3/118 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. मांगीलाल पिता भंवरलाल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी सासेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)

...........वादीगण

बनाम्

1. नाथुसिंह पिता सवसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. सोहनकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी हरिसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी वांगरोदा, हाल घणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भंवरकुंवर पुत्री सवसिंह जी पत्नी नाथूसिंह जी जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज०)
4. अंकित कुमार पिता चन्द्रप्रकाश जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. ओमप्रकाश पिता सुन्दरलाल जी मेहता ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नुरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
6. कमलसिंह पिता रतनलाल जी जैन पगारिया, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
7. चन्द्रप्रकाश पिता चांदमल जी जैन, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
8. धर्मनारायण पिता श्यामलाल जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
9. प्रेमशंकर पिता श्यामलाल जी जोशी, उम्र वयस्क, निवासी रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
10. प्रहलाद पिता अर्जुनलाल जी लावटी, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
11. भरत पिता हरकलाल जी दुग्गड, उम्र वयस्क, निवासी 191–192 क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
12. विशाल पिता हरकलाल जी दुग्गड, उम्र वयस्क, निवासी 191 क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
13. सुन्दरलाल पिता डालचन्द जी मेहता, उम्र वयस्क, निवासी नुरड़ा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
14. सुरेशचन्द्र पिता गणेशलाल जी खटवड़, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
15. सरोजदेवी पत्नी हरकलाल जी दुग्गड, उम्र वयस्क, निवासी क्यूरोड भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

16. सुशीलादेवी पत्नी कमलसिंह जी जैन पगारिया, उम्र वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
17. हरकलाल पिता भोलीलाल जी दुग्गड़, उम्र वयस्क, निवासी 191 भुपालपुरा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
18. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 70/24 (वाद) GCMS No. – 2024/166

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्वायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 560 किता 1 कुल क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि खातेदार एजनकुंवर पत्नी सवसिंह के नाम 3/118 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 3/118 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested